भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 237

उत्तर देने की तारीख : 02/12/2025

दिव्यांगों के लिए एकीकृत पुनर्वास

237. श्री प्रवीण पटेल :
श्री भोजराज नाग:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विजय कुमार दूबे :
श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री मितेश रमेशभाई पटेल :
श्री राजकुमार चाहर :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री अनिल फिरोजिया:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(ख) सहयोग और कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल विभिन्न संस्थानों की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और नाम क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि की मात्रा और सम्मिलित किए गए विशिष्ट ध्यान योग्य क्षेत्र कौन से हैं;

(घ) क्या दिव्यांगजनों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर इस पहल के कोई अपेक्षित परिणाम निकले हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में सरकार द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु क्या एकीकृत पहलें की गई हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : विभाग मुख्य योजनाओं और पहलों के माध्यम से एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देता है। नौ राष्ट्रीय संस्थान और 30 समेकित क्षेत्रीय केंद्र पूरे भारत में पाठ्यक्रम, पुनर्वास सेवाएं, प्रारंभिक हस्तक्षेप, और कौशल विकास प्रदान करते हैं। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/ सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)' जैसी योजनाएं सहायक उपकरणों की उपलब्धता और उनमें नवाचार के लिए सहायता प्रदान करती हैं। विभाग दिव्यांगजनों की शिक्षा और रोज़गार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और कौशल विकास प्रदान करता है।

(ख) और (ग): सिपडा की अनुसंधान उप-योजना के तहत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सहायक तकनीकी विकास, पुनर्वास प्रोटोकॉल और थेरेपी मॉड्यूल, सुगम्य अधिगम और संचार प्रौद्योगिकियों, पुनर्वास अनुसंधान, डिजिटल और आईसीटी –आधारित हस्तक्षेपों, और साक्ष्य आधारित प्रसार और कार्यात्मक मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करता है। हाल की परियोजनाओं पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली; एवाईजेएनआईएसएचडी(डी), मुंबई; एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद; एनआईईपीवीडी, देहरादून; और एनआईएलडी, कोलकाता द्वारा मेडिकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, और समुदाय-आधारित संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एलिम्को कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें सीएसआईआर -सीएसआईओ के साथ कम दृष्टि वालों के लिए सहायक चश्मे, सीडीएसी के साथ एक प्रोग्रामेबल बिहाइंड-द-ईयर श्रवण सहायक यंत्र, आईआईटी चेन्नई और एसबीएमटी (डीआरडीओ) के साथ कदम 'नी जॉइंट्स', सीआईपीईटी के साथ विशेषीकृत डाईज़ का विकास, और एएमटीजेड के सहयोग से विशाखापट्टनम में एक प्रस्तावित 'आर एंड डी' केंद्र की स्थापना शामिल है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित सिपडा योजना की अनुसंधान उप-योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के लिए कुल व्यय 3.49 करोड़ रुपए है।

(घ) इन पहलों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित, साक्ष्यों पर आधारित हस्तक्षेप और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सरंचित सहायता के माध्यम से दिव्यांगजनों की कार्यात्मक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। ये थेरेपी, परामर्श और देखभाल कर्ता की भागीदारी को एकीकृत कर समग्र पुनर्वास को बढ़ावा देते हैं, संस्थागत और सामुदायिक मंचों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करते हैं, और कुशल पुनर्वास पेशेवरों के एक राष्ट्रव्यापी संवर्ग को मजबूत करते हैं।

(ङ) एलिम्को ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले में एडिप योजना के तहत वितरण शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें पिछले तीन वर्षों में 1,057 लाभार्थियों को 97.39 लाख रुपये के सहायक उपकरण दिए गए हैं। एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), मुंबई समुदाय-आधारित पुनर्वास और प्रारंभिक हस्तक्षेप शिविरों का आयोजन करता है, जिसमें स्क्रीनिंग, थेरेपी, देखभाल कर्ता हेतु परामर्श, सहायक उपकरण की सुविधा, रेफरल, रोजगार मेले और जागरूकता गतिविधियाँ शामिल हैं।

*****